सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 738 राँची, गुरुवार, 17 भाद्र, 1938 (श०)
8 सितम्बर, 2016 (ई०)

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

अधिसूचना
10 अगस्त, 2016

संख्या-4/आ०-01-1004/2015-3657--माननीय स०वि०स०, झारखण्ड विधानसभा, रांची सर्वश्री अरूप चटर्जी, कुशवाहा शिवपूजन मेहता एवं राजकुमार यादव द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 12 मार्च, 2015 को सदन में लाये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के क्रम में विषयवस्तु की जाँच अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, धनबाद से प्राप्त किया गया ।

2. प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरान्त श्री संजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल संख्या-1, धनबाद द्वारा विधायक मद अन्तर्गत जल समृद्धि योजना की राशि का विचलन कर अन्य योजना में व्यय करने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया । तद्नुसार सरकार द्वारा झारखण्ड विधान सभा में दिये गये वक्तव्य के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1114 दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा श्री कुमार को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया ।

3. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के विरूद्ध सरकार द्वारा दिये जानेवाले वक्तव्य की समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आयी कि श्री कुमार के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, रांची पश्चिम रांची में कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन काल में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत् शौचालय निर्माण कार्य में

संबंधित एजेंसी एवं अन्य कर्मी के साथ मिलीभगत कर घोर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है । इस संदर्भ में माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड, रांची द्वारा जांचोपरान्त एवं सुनवाई के पश्चात् आरोपों को प्रमाणित पाते हुए श्री कुमार एवं संबंधित अन्य कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करने एवं प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा विभाग से की गई ।

4. उपरोक्त पूरे मामले पर विचारोपरांत विभाग द्वारा उक्त वर्णित प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री संजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं०-1, धनबाद के विरूद्ध संकल्प संख्या-3140 दिनांक 28 जुलाई, 2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के मध्य ही श्री अशोक कुमार सिन्हा, जांच संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-608 दिनांक 28 दिसम्बर, 2015 के द्वारा उनका कार्यकाल दिनांक-31 दिसम्बर, 2015 को समाप्त होने की सूचना विभाग को देते हुए, पुनः संचालन पदाधिकारी कि नियुक्ति करने हेतु विभागीय कार्यवाही अभिलेख विभाग को वापस किया गया । कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश संख्या- 284 दिनांक 12 जनवरी, 2016 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के लिए श्री शुभेन्द्र झा, भा०प्र०से० (सेवानिवृत) को विभागीय जाँच पदाधिकारी नामित किये जाने के फलस्वरूप विभाग द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-1381 दिनांक 29 मार्च, 2016 के माध्यम से श्री शुभेन्द्र झा, विभागीय जाँच पदाधिकारी को जाँच संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

6. दिनांक 15 जनवरी, 2016 को निलंबित अभियंताओं की निलंबन के बिन्दु पर समीक्षात्मक बैठक में की गयी सम्बन्धित समिति की अनुशंसा के क्रम में सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना संख्या-1389 दिनांक 29 मार्च, 2016 द्वारा तत्काल मात्र निलंबन मुक्त करते हुए अकार्य कोटि में पदस्थापित करने का निर्णय लिया गया । निलम्बण अवधि के सम्बन्ध में निर्णय विभागीय कार्रवाई के फलाफल से प्रभावित होने का निर्णय लिया गया ।

7. जांच संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत उनके पत्रांक 92 (अनु०) दिनांक 18 मई, 2016 द्वारा जांच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध विधायक मद अंतर्गत जल समृद्धि योजना की राशि का विचलन कर अन्य योजना में व्यय करने का आरोप, सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत् शौचालय निर्माण योजना के कार्यान्वयन में लाभूकों की सहभागिता नहीं होने, विभागीय पत्र संख्या-906 दिनांक 13 दिसम्बर, 2008 के द्वारा निर्गत निदेश का अनुपालन नहीं करने, योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सही ढंग से नहीं करने एवं अपनी पत्नी की संस्था के कार्यरत होने की सूचना ससमय उच्चाधिकारियों को नहीं देने का आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

8. प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत प्रतिवेदित प्रमाणित आरोपों के विरूद्ध विभागीय पत्रांक 2894 दिनांक 29 जून, 2016 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारणपृच्छा की गयी ।

9. श्री कुमार के पत्रांक शून्य दिनांक 18 जुलाई, 2016 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा सरकार द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरांत श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा असंतोषजनक पाया गया ।

10. उक्त के क्रम में पूरे मामले पर सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के क्रम में श्री कुमार के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के भाग-ट नियम-14(अप) में अभिलिखित 3 (तीन) वेतन वृद्धि संयचात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है ।

उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में निम्न आदेश दिये जाते हैं:-

(क) श्री संजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं०-1, धनबाद सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, हजारीबाग की तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध की जाती है ।

(ख) श्री कुमार को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अभय नन्दन अम्बष्ठ,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 738 –50 ।